न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -25/2023

अनवान

1. पंकज पिता मदनलाल जी, जाति धाकड, उम्र 24 वर्ष, पेशा काश्त, निवासी ग्राम खातीखेडा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. कल्पना कुमारी पिता मदनलाल जी, जाति धाकड, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम खातीखेडा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. पिंकी कुमारी पिता मदनलाल जी, जाति धाकड, उम्र 18 वर्ष, निवासी ग्राम खातीखेडा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. ममता बाई पिता मदनलाल जी, जाति धाकड, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम खातीखेडा, हाल देवली खुर्द कोटा(राज.)

-वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. मदनलाल पिता रामचन्द्र जी, जाति धाकड, उम्र 59 वर्ष, पेशा रिटायर्ड अध्यापक, निवासी ग्राम खातीखेडा, तहसील रावतभाटा निवासी मुर्गी फार्म के पास, नया बाजार, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान हाल नीयर ममता गार्डन कंचन सिंह प्लॉट न0 148 न्यू मार्केट रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. राज0 सरकार जरिये भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री पी.के. बिल्लू अभिभाषक प्रार्थी
अर्जुन सिंह चुण्डावत अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 24.10.2024

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त अनवान का वाद-पत्र वादीगण/प्रार्थीगण ने अलग से न्यायालय आप में पेश कर दिया है जो काफी ठोस, सशक्त व सुदृढ़ आधारों पर आधारित होने से अवश्य ही पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री होगा लेकिन वाद-पत्र की कुलिया सुनवाई होकर निर्णय में समय लगने की प्रबल संभावना है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 एवं वाद-पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 02 से 04 की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजीयात राजस्व ग्राम मोहना पटवार हल्का एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा एवं ग्राम खातीखेड़ा, प0ह0 खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित चली आ रही है जो प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 की पैतृक कृषि आराजीयात होकर पूर्वजों के समय से चली आ रही है। जो संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित कृषि आराजीयात है जिसका वर्णन निम्न प्रकार है:- ग्राम मोहना प0ह0 एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित आराजीयात खाता संख्या 80 पर दर्ज आराजी नम्बर 278 रकबा 1.12 हैक्टर, [illegible] नम्बर [illegible]0 रकबा 0.51 हैक्टर, आराजी नम्बर 281 रकबा 0.34 हैक्टर, आराजी नम्बर 282 रकबा [illegible] हैक्टर किता 04 कुल रकबा 2.31 हैक्टर कृषि भूमि अवस्थित है। खाता संख्या 81 [illegible] नम्बर 157 रकबा 2.40 हैक्टर, आराजी नम्बर 271 रकबा 1.10 हैक्टर किता 02, कुल रकबा [illegible] हैक्टर कृषि भूमि अवस्थित है। ग्राम खातीखेड़ा, प0ह0 खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ में अवस्थित आराजीयात खाता संख्या 308 पर दर्ज आराजी नम्बर 409 रकबा 0.21 हैक्टर किता 01, कुल रकबा 0.21 हैक्टर कृषि भूमि अवस्थित है। खाता संख्या 104 पर दर्ज आराजी नम्बर 1050 रकबा 1.43 हैक्टर, आराजी नम्बर 1333, रकबा 2.53 हैक्टर, आराजी नम्बर 276 रकबा 0.21 हैक्टर, आराजी नम्बर 369 रकबा 0.13 हैक्टर, आराजी नम्बर 371 रकबा 0.11 हैक्टर एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Ga
Date: 2024.11.27 17:11:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

आराजी नम्बर 73 रकबा 1.85 हैक्टर किता 06, कुल रकबा 6.26 हैक्टर कृषि भूमि अवस्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत् 2076-2079 की नकल एवं नक्शा ट्रेस संलग्न वाद-पत्र है। उपरोक्त आराजीयात प्रार्थीगण के दादा रामचन्द्र जी के समय से चली आ रही है जो जरिये विरासत विपक्षी संख्या 01 व दिगर वारिसों के नाम दर्ज की गई है।

यह कि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 01 के परिवार का वंश वृक्ष निम्नानुसार है:-

श्री रामचन्द्र
मूल पुरूष

मदनलाल पुत्र	चतरभुज पुत्र	शोभाराम पुत्री	धन्नी पुत्री
प्रति.सं. 01	प्रति.सं. 02	प्रति.सं. 03	प्रति.सं. 04

पंकज पुत्र वादी सं. 01
कल्पना पुत्री वादी सं. 02
पिंकी पुत्री वादी सं. 03
ममता बाई पुत्री वादी सं. 04

उपरोक्त वर्णित सजरे अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात विपक्षी संख्या 01 को मूल पुरूष प्रार्थीगण के दादा रामचन्द्र जी से विरासत से प्राप्त हुई और प्रार्थी संख्या 01 से 03 विपक्षी संख्या 01 के जायंदा पुत्र पुत्री होने के कारण वादग्रस्त आराजीयात में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विपक्षी संख्या 01 के समान प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा कानूनन निहित है। विपक्षी संख्या 01 ने प्रार्थीगण की माता सरजू बाई का परित्याग कर सरजू बाई से विवाह विच्छेद कराये बिना सीमा नामक महिला को अपने साथ रख रखा है और सीमा ने विपक्षी संख्या 01 के नुत्फे से एक पुत्र को भी जन्म दिया है जो भी विपक्षी संख्या 01 के साथ ही निवासरत है। जबकि प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 01 की जायंदा संतानें होकर वादग्रस्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 01 के बनने वाले हक हिस्से में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही हक हिस्सा निहित है जिससे यह वाद पत्र बाबत् पैतृक पुश्तैनी आराजीयात में खातेदारी घोषणा चाहने हेतु पेश है। अंत में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमा विपक्षी संख्या 01 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि विपक्षी सख्या 01 प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 02 के परिशिष्ट अ, ब, स, एवं द में वर्णित कृषि आराजीयात में प्रार्थीगण के हक हिस्से वाली आराजीयात के कब्जे काश्त में एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे एवं आराजीयात का जब तक बंटवाडा होकर खाता अलग अलग न कर दिया जावे तब तक आराजीयात को किसी प्रकार से रहन, बह, विक्रय, बक्षीस व दिगर तरीके से हस्तान्तरित न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब करने पर विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत मय वकालतनामा प्रस्तुत हो जवाब प्रस्तुत किया। जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा बिना राजस्व रिकार्ड की जांच किये,झूठा एवं मनगढंत तथ्यों पर आधारित वाद पत्र न्यायालय में पेश किया है, प्रार्थना पत्र में समस्त कृषि भूमियों को पुश्तैनी को पुश्तैनी दर्शाया गया है, जबकि कृषि भूमियां अप्रार्थी संख्या 01 [illegible] तथा एक खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी भी दिगर व्यक्ति प्रार्थीगण को अस्था[illegible] करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए प्रथमदृष्टया भी प्रार्थना पत्र [illegible] फरमाया जावें। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 का जवाब है कि प्रार्थीगण द्वारा जो न्याया[illegible] पत्र प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार है,लेकिन प्रार्थीगण द्वारा झूठा एवं मनगढंत तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया है, जो निश्चित ही अस्वीकार होकर खारिज होगा। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 02 का जवाब है कि ग्राम मौजा मोहना की खाता संख्या 80, 81,308 अप्रार्थी मदनलाल द्वारा खरीदशुदा कृषि भूमि है तथा खाता संख्या 104 पुश्तैनी कृषि भूमि है। परिशिष्ट अ ग्राम मोहना की खाता संख्या 80, आराजी संख्या 278, 280, 281, 282 किता 04 कुल रकबा 2.31है0 कृषि भूमियां अप्रार्थी मदनलाल द्वारा खरीदशुदा कृषि भूमि है, जो अप्रार्थी मदनलाल द्वारा जमाबंदी सम्वत 2052-55 की खाता संख्या 244 खसरा संख्या 124/1 रकबा2.31है0 कृषि भूमि इन्तकाल संख्या 657 दिनांक 19.12.1996 से जरिये बिक्राव शमशुद्दीन, बाबू पिता रमजू मुसलमान के बजाये चतरर्भुज, मदनलाल, शोभाराम पिता रामचन्द्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Ga
Date: 2024.11.27 17:11:21 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

धाकड का नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है तथा परिशिष्ट अ के आराजी संख्या 278, 280, 281, 282 किता 04 कुल रकबा 2.31है0 ग्राम मोहना की मिलान क्षेत्रफल के अनुसार आराजी संख्या 124/1 से ही बने है, इससे स्पष्ट प्रमाणित है कि उक्त कृषि भूमियां अप्रार्थी संख्या 01 मदनलाल द्वारा खरीदशुदा कृषि भूमियां है, जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। परिशिष्ट ब ग्राम मोहना की आराजी संख्या 157, 271 कुल किता 02 रकबा 3.50है0 कृषि भूमि जो जमाबंदी सम्वत 2076-79 में अप्रार्थी संख्या 01 मदनलाल का 1/3 हिस्सा निहित है, उक्त कृषि भूमियां मदनलाल की खरीदशुदा कृषि भूमियां है,उक्त कृषि भूमियां जमाबंदी 2052-55 की खाता संख्या 163, खसरा संख्या 72/1 छ व आराजी संख्या 72/1 ज कुल किता 02 रकबा 2.40है0 कृषि भूमियां चतरर्भुज, मदनलाल, शोभाराम पिता रामचन्द्र धाकड के नाम इन्तकाल संख्या 703 दिनांक 27.08.1998 से दर्ज करने की स्वीकृति हुई, उक्त कृषि भूमियां मथरालाल, मांगीलाल, रघुनाथ पिता नंदा धाकड से खरीद की थी तथा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त कृषि भूमियों आराजी संख्या 157, 271, कुल किता 02 कुल रकबा 3.50है0 पुराने आराजी संख्या 72/1 छ व 72/1 ज व 119 से बने है इससे स्पष्ट प्रमाणित है कि परिशिष्ट-बी की कृषि भूमियां भी अप्रार्थी मदनलाल की खरीदशुदा कृषि भूमियां है, जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है, अप्रार्थी मदनलाल की स्वअर्जित सम्पति है। परिशिष्ट स ग्राम खातीखेडा की खाता संख्या 308 आराजी संख्या 409 रकबा 0.21है0 कृषि भूमियां अप्रार्थी मदनलाल के खाते में जमाबंदी सम्वत 2076-79 में दर्ज रिकॉर्ड है, जिसमें सम्पूर्ण हिस्सा निहित है, उक्त कृषि भूमियां अप्रार्थी मदनलाल द्वारा बालाराम पिता देवीलाल सुथार से क्रय की थी, जिससे भी स्पष्ट प्रमाणित है कि उक्त कृषि भूमियां मदनलाल की खरीदशुदा कृषि भूमियां है, जिसमें वादीगण किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वाद पत्र की कॉलम संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमियां पुश्तैनी नहीं है तथा पुश्तैनी होने का कोई भी वैध दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है,इसलिए प्रथमदृष्टया केस प्रार्थीगण का प्रमाणित नहीं है तथा सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है जबकि अप्रार्थी संख्या 01 की स्वअर्जित सम्पति होकर क्रयशुदा कृषि भूमियां है, जिसके समस्त दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत किये है तथा कृषि भूमियों पर कब्जा भी अप्रार्थी संख्या 01 का ही है, इसलिए प्रथमदृष्टया मामला न्याय, साम्य व सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में है। अंत में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत जवाब स्वीकार कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया।

तहसीलदार रावतभाटा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर जवाब अनुसार ग्राम मोहना प0ह0 एकलिंगपुरा की खाता संख्या 80 आराजी संख्या 278 रकबा 1.12है0, आराजी संख्या 280 रकबा 0.51है0, आराजी संख्या 281 रकबा 0.34है0, आराजी संख्या 282 रकबा 0.34है0 कुल किता 04 कुल रकबा 2.31है0 भूमि मदनलाल पिता रामचन्द्र धाकड निवासी खातीखेडा के सहखातेदारी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें मदनलाल का हिस्सा 1/6 है। ग्राम मोहना प0ह0 एकलिंगपुरा की खाता संख्या 81 आराजी संख्या 157 रकबा 2.40है0, आराजी संख्या 271 रकबा 1.10है0 कुल किता 02 कुल रकबा 3.50है0 भूमि मदनलाल पिता रामचन्द्र धाकड हिस्सा 1/3 सहखातेदारी के नाम दर्ज रिकार्ड है। मदनलाल पिता रामचंद्र के एक पुत्र व तीन पुत्रीयां व पत्नि सरजूबाई जीवित होकर जाईन्दा वारिस है जबकि श्री मदनलाल द्वारा एक और पत्नि सीमा को नाते रख रखा है, जिसके एक पुत्र जिवित होकर जाइन्दा है। ग्राम मोहना की आराजीयात पर वर्तमान में सरजूबाई काबिज हेकर काश्त कर रही है।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते व कब्जे की जमीन ग्राम मोहना प0ह0 एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, में स्थित [illegible] खातीखेडा प0ह0 खातीखेडा की खाता संख्या 308, 104 है, उक्त आराजीयात [illegible] अप्रार्थी संख्या 01 की पैतृक कृषि आराजीयात होकर पूर्वजों के सम[illegible] का प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई [illegible] प0ह0 एकलिंगपुरा व ग्राम खातीखेडा प0ह0 खातीखेडा में स्थित प्रार्थी [illegible] 80, 81 व 308, 104 में से अपने हक हिस्से की कृषि आराजीयात पर अनाधिकृत कब्जा कर काश्त [illegible] का प्रयास नहीं करे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी न स्वयं करे [illegible] अन्य से कराने का निवेदन किया। इसके विपरित वकील अप्रार्थी द्वारा ग्राम मौजा मोहना की खाता संख्या 80,81 व ग्राम खातीखेडा की खाता संख्या 308 अप्रार्थी मदनलाल द्वारा खरीदशुदा कृषि भूमि है तथा खाता संख्या 104 पुश्तैनी कृषि भूमि होकर अप्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि होने का निवेदन किया है। अतः प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gag
Date: 2024.11.27 17:11:21 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की वहस पर मनन किया अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सवूत ग्राम मोहना प0ह0 एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, में स्थित है जिसके खाता संख्या 80, 81 है तथा ग्राम खातीखेडा प0ह0 खातीखेडा की खाता संख्या 308 स्वअर्जित भूमि है किन्तु ग्राम खातीखेडा की खाता संख्या 104 की आराजी संख्या 1050, 1333, 276, 369, 371, 73 भूमि दस्तावेजी सबूतों में पुश्तैनी भूमि होना प्रतित होती है, उक्त कृर्षि भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि होने से प्रथमदृष्टया हक प्रार्थी का होना सावित होता है, जिससे सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी के पक्ष में न होकर प्रार्थी के पक्ष में अधिक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाये जाने से आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वह प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम खातीखेडा की खाता संख्या 104 की आराजी संख्या 1050, 1333, 276, 369, 371, 73 कब्जे काश्त अनुसार काविज रहे तथा एक दुसरे की कब्जेकाश्त की आराजीयात पर किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न स्वयं करे न अन्य किसी व्यक्ति से करावें।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Ga
Date: 2024.11.27 17:11:21 IS
Reason: SelfAttested